

धनबाद   कोलाकुशमा   12   नीरू राय		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
256	2924	0 एकड़ 5 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2018-2019)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2016-2017)	१ ला वर्ष (2017-2018)	
माल (नकदी)	3.00			3.00	3.00	3.00
गुजारी (भावली)	0.75			0.75	0.75	0.75
सेस	1.50			1.50	1.50	1.50
सूद	1.50			1.50	1.50	1.50
मुतफरकात	0.60			0.60	0.60	0.60
मीजान	7.35			7.35	7.35	7.35

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल (2018-2019)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2016-2017)	१ ला वर्ष (2017-2018)		
माल (नकदी)			3.00	3.00	3.00	
गुजारी (भावली)			0.75	0.75	0.75	
सेस			1.50	1.50	1.50	
सूद			1.50	1.50	1.50	
मुतफरकात			0.60	0.60	0.60	
मीजान अदायकारी			7.35	7.35	7.35	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Twenty Two Rupees and Five Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 22.05

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 14-12-2018

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।



S



APPLICATION FOR INFORMATION

19438  
25-9-18  
10-11

Number & Date	Name & Residence of the applicant	Nature of information Required	Date by which the information is be ready	Signature of officer receiving the application	Remarks
1	2	3	4	5	6
	दिनेश कुमार	कृपया कर साविक साविक खेसरा मौजा - कालाकुराम धाना नं- 12 अंचल - धनबाद जिला - धनबाद	256 94	खाता चाहिए।	स्वं
		हाल खाता	2924 2382		
		गारूप खतियान/खेसरा पंजी के अनुसार साविक खाता एवं खेसरा एक से अंकित किया गया कुल खेसरा ( ) हैं।		खात सच खातेगाव से साविक का सत्यापन अनालत है	

36731  
25-9-18

भूमिख माहिरि  
प्रतिवेदन के हाल अंकित खेसरा  
किस साविक खेसरा खाता से  
बना है।  
सचिव 10 मु०  
धनबाद  
17/12/18

जोशी  
17-12-18

Received from.....

दिनेश कुमार  
17-12-18

an application.....

for information which will ready

17/12/18



# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 149389201218053253

Date : 20-12-2018


प्रभावी : 2 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री NEERU ROY W/O RAM DAHIN ROY,

मोहल्ला KOLA KUSMA NEAR HIGH SCHOOL DHANBAD DHANBAD , 7903364867  
DHANBAD , 828109

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0230003740000M0 वार्ड सं. 23 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	76.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		76.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इभरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विधिगत संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.